3

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदेश

//ज्ञापन//

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 2015

क्रमॉक 1–13/396/स्था(1)ए, 2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
भोपाल।

विषयः– विभागीय कार्ययोजना वर्ष 2015–16 के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग का पत्र क्रमॉक 1241/2015/बी–3/दो दिनांक 01–09–2015

—0—

कृपया सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में विभागीय कार्ययोजना वर्ष 2015–16 के सम्बन्ध में हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

8.9.2015

(मैथिलीशरण गुप्त)
महानिदेशक,
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

होमगार्ड विभाग की कार्य योजना
(वर्ष 2015–2016)

1– विभाग की जनरल परेड के स्तर को ऊँचा उठाना तथा होमगार्ड सैनिको के टर्न आउट को उत्कृष्ट किस्म से बढ़ाना।

2– होमगार्ड सैनिको को सामान्य विचार व शिष्टाचार की सिखलाई देना, ताकि विभाग का अनुशासन व छबि उज्ज्वल हो सके।

3– भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिकीकरण योजना के प्रस्तावों के क्रियांवयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

4– होमगार्ड संगठन की विभिन्न इकाईयों के संरक्षण एवं मरम्मत हेतु पी0सी0एण्डआर0 के विभिन्न प्रस्तावों को बजट में आवंटित राशि का उपयोग समय पर सुनिश्चित करना।

5– प्लाटून कमाण्डर व विभाग के अन्य रिक्त पदों की भरती प्रक्रिया पूर्ण करवाना।

6– विभिन्न रैंक में पदोन्नति कोटे के रिक्त स्थानों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही संपन्न करवा कर अर्हता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति की कार्यवाही संपन्न करवाना।

7– सीधी भरती के जिला सेनानी, होमगार्ड के रिक्त पदों के लिए मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (पी0एस0सी0) द्वारा प्रत्याशी चयनित कराने एवं उन्हें प्राप्त करके उनके प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

8– राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार निर्धारित मापदंडो के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण की कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण करना।

9– लंबित विभागीय जांचो/शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवा कर उनको निराकरण करवाना।

Scanned by CamScanner

10— लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षाा कर उनकी प्राथमिकता के आधार पर आदेश पारित करना तथा वर्ष 2012—13 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन प्रकरण समय पर तैयार करवा कर स्वीकृत करवाना।

11— होमगार्ड सैनिको को डियूटी के दौरान मृत्यु होने पर रू0 तीन लाख अनुग्रह राशि तथा करूणा भत्ता व अन्य देय स्वत्व को समय से वितरित करने हेतु बजट शासन से प्राप्त करके सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कराना।

12— लंबित आडिट कंडिकाओं की नियमित समीक्षा कर उनका निराकरण करवाना

13— होमगार्ड की विभिन्न इकाईयों के निरीक्षण को रोस्टर अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनिश्चि करवाना।

14— नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर एन0आई0डी0एम0 नई दिल्ली व अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजना तथ विभाग के अधिनस्थ यूनिटों में होमगार्ड के एनसीओ/सैनिक रिफ्रेशर कोर्स का तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न स्तरों की निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराना।

15— बाढ़ बचाव हेतु होमगार्ड की जिला इकाईयों के बाढ़ बचाव उपकरणों सहित पूर्ण तैयारी करवाना।

16— वित्तीय वर्ष 2015—2016 में रेग्युलर बजट के अंतर्गत भंडार सामग्रियों को समय सीमा में आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण कर क्रय करना।

17— होमगार्ड संगठन के अनुशासन को प्रोत्साहित करने स्वयं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कदाकरण की शिकायतों का संज्ञान तत्परता से लेकर उन पर नियमानुकूल कार्यवाही यथा संभव शीघ्रता से करवाना।

18— होमगार्ड संगठन के अधिकारी/कर्मचारी/सैनिक को कल्याणकारी रूप से सहायता हेतु वेलफेयर फंड से मिलने वाली राशि करूणा भत्ता, स्मृति भेंट इत्यादि, डिस्ट्रेस फंड, शिक्षा निधि इत्यादि को त्वरित गाति से संचालित करना।

Scanned by CamScanner

19— इसी प्रकार प्रशंसकीय आचरण को प्रदर्शित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/सैनिकों के प्रेसीडेंट मेडल के प्रस्ताव समय पर भारत सरकार को भेजना।

20— संसद तथा विधानसभा संबंधी विषयों (प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन, आश्वासन) पर त्वरित कार्यवाही करते हुये शासन को स्वयंपूरक सामग्री समय पर उपलब्ध करवाना।

21— भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण संदर्भो (मंत्री परिषण के निर्णय, सी0एम0 मानिट प्रकरण, मुख्य सचिव मानिट प्रकरण, माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसद व विधायक, भारत सरकार से इसी प्रकार से प्राप्त विभिन्न संदर्भ आदि) का निराकरण, निर्धारित समय–सीमा व यथा संभव तत्परता से करवाना।

22— सिविल डिफेंस के जिलों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर) में व नये सी0डी0 जिले घोषित 51 जिलों में सिविल डिफेंस के वालेन्टियर बनाना, प्रशिक्षित करना व अन्य की गतिविधियों को संचालित करवाना

23— केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली, जबलपुर को आधुनिक स्वरूप देना और उसको उत्कृष्ट किस्म के संस्थान के रूप में विकसित करना।

24— न्यायालयीन प्रकरणों की सतत् समीक्षा करना।

25— वर्ष के दौरान आने वाले अनापेक्षित अतिरिक्त कार्यो को यथा संभव तत्परता से पूर्ण कराना।

26— कार्य योजना में शामिल विभिन्न कार्यो को समय पर पूर्ण कराने के लिए नियमित समीक्षा बैठके करना।

27— सिविल डिफेन्स वॉलेन्टियर्स के मानव व उपकरण संसाधन की पहिचान, पंजीयन एवं किसी भी आपदा के लिये तैयार करना ।

28— होमगार्ड को जीवन रक्षक, जीवन–दायक व जीवन सम्बर्धक की भूमिका के लिये तैयार करना एवं सार्थक प्रयास कर इसका लाभ आम जनता तक पहुॅचाना ।

29— कम्युनिटी को किसी भी आपदा फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका के लिये तैयार करना ।

Scanned by CamScanner